

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उओप्रओ शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,

उओप्रओ, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 09 मई, 2025

विषय: उओप्रओ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों से स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों हेतु विभिन्न विषयों पर इण्टर्नशिप प्रोग्राम संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके संओ-162/इण्टर्नशिप/काओअनुओ/2025-26, दिनांक 24.04.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में उओप्रओ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों से स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों हेतु विभिन्न विषयों पर इण्टर्नशिप प्रोग्राम संचालित किये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 29.07.2024 के माध्यम से राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से उओप्रओ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवण्टित की गयी धनराशि ₹0 6,00,000/- में से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 4,71,572/- का ही उपभोग हो पाने के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर समर्पित की गयी शेष धनराशि ₹0 1,28,428/- प्राधिकरण को पुनः आवण्टित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05-07-2024 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत उओप्रओ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों से स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों हेतु विभिन्न विषयों पर इण्टर्नशिप प्रोग्राम संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राधिकरण को आवण्टित की गयी धनराशि ₹0 6,00,000/- में से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 4,71,572/- का ही उपभोग हो पाने के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर समर्पित की गयी शेष धनराशि ₹0 1,28,428/- (₹0 एक लाख अट्ठाइस हजार चार सौ अट्ठाइस) की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उओप्रओ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। उओप्रओ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू० 1,28,428/- (रू० एक लाख अट्ठाइस हजार चार सौ अट्ठाइस) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

Signed by भवदीय,
Shailendra Mani Tripathi
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
Date: 08-05-2025 18:32:37
अनु सचिव।

संख्या:-474(1)/एक-10-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-15/05/2025

प्रेषण संख्या:- 474
आवंटन आदेश संख्या:- 001-474
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	128428 113494749	128428 113494749
	योग	वर्तमान प्रगामी	128428 113494749	128428 113494749

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक लाख अठाईस हजार चार सौ अठाईस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ चौतीस लाख चौरानवे हजार सात सौ उनचास


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।